

नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16
भाग-एक

1. प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-(ख)IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 तक नगर पंचायत नादौन के प्रधान तथा सचिव निम्नानुसार थे:-

प्रधान:-

क्र०सं०	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्रीमती रीना देवी	1.4.14 से 31.3.16

सचिव:-

क्र०सं०	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री प्रेम चन्द बत्तरा	1.4.14 से 21.3.16
2	श्री जगपाल सिंह ठाकुर	22.3.16 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- नगर पंचायत नादौन के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	9.1	190
2	अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	9.2	293.92
3	गृहकर के रूप में दिनांक 31.3.16 को वसूली हेतु लम्बित	10	21.47
4	गृहकर का निर्धारण राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि	10.1	4.17

5	दुकानों के किराये के रूप में दिनांक 31.3.2016 को वसूली हेतु लम्बित	11	18.82
6	मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	12	0.56
7	स्वीकृति बजट से अधिक व्यय	15	28.58
8	सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा कम ब्याज देना	17	0.99
9	गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री किशोरी लाल, बेलदार व श्री ब्रह्मवीर बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान	18	0.41
10	श्री रमेश चन्द, लिपिक का कनिष्ठ सहायक के पद पर नियमों के विरुद्ध स्थापन (Placement)	20	-
11	मोबाईल खर्च के रूप में श्रीमती रीना देवी प्रधान को अनाधिकृत भुगतान	21	0.11
12	टी0डी0एस0 की कटौती न करना	24	0.88
13	आयकर, बिक्री कर व श्रमकर के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	25	1.35
14	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	27	0.13
15	हॉफ राउंड आर0सी0सी0 पाईपों का अनावश्यक क्रय	28	0.66
16	प्रचलित बाजार दरो से अधिक दरो पर क्रय करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान	30	0.09

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के "परिशिष्ट 1" पर दर्शाई गई है। नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों पर कोई भी विशेष कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि सभी अनिर्णीत पैरों पर समयबद्ध सीमा के भीतर अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि गत कई वर्षों से असमायोजित/अनिर्णीत/लम्बित पैरों का निपटारा सम्भव हो सके।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

नगर पंचायत नादौन के लेखों अवधि 04/2014 से 03/2016 का वर्तमान अंकेक्षण, श्री राज कुमार अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 30.11.16 से 24.12.16 व दिनांक 16.1.17 से 18.1.17 तक नादौन में किया गया जिस के

परिणामों को आगामी पैरागाफों में समाविष्ट किया गया है। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आय:- 3/15 व 3/16

व्यय:- 10/14 व 10/15

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख पर आधारित है। संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत व अधूरी सूचना एवं सूचना प्रदान न करने की अवस्था में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

नगर पंचायत नादौन के लेखाओं अवधि 4/14 से 3/16 के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹36600 आंका गया। सचिव नगर पंचायत नादौन से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 16.01.2017 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। परिणामस्वरूप अंकेक्षण शुल्क की राशि को एच0डी0एफ0सी0 नादौन के बैंक ड्राफ्ट संख्या 000270 दिनांक 17.01.2017 को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है। अंकेक्षण शुल्क का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

4 वित्तीय स्थिति:-

नगर पंचायत नादौन के लेखाओं अवधि 4/14 से 3/16 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट-3 के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वर्ष 2014-15					
स्व: स्रोत	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	कुल राशि	व्यय	शेष राशि
स्व: स्रोत	1588034	6321937	7909971	2815742	5094229
अनुदान	270589	21050316	21320905	21320905	शून्य
कुल योग	1858623	27372253	29230876	24136647	5094229
वर्ष 2015-16					
स्व: स्रोत	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	कुल राशि	व्यय	शेष राशि
स्व: स्रोत	5094229	7258036	12352265	8674375	3677890
अनुदान	शून्य	27071352	27071352	8071352	19000000
कुल योग	5094229	34329388	39423617	16745727	22677890

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.3.16 को बैंक में जमा शेष राशि:-

क्र० सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स नादौन	01682010034020	50365.38
2	के०सी०सी०बी० नादौन	20018023134	76948.25
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नादौन	65110276153	296254.00
4	एच०डी०एफ०सी० नादौन	50100067903202	1977378.00
5	सी०बी०आई० नादौन	2158278778	57267.00
6	एस०बी०आई० नादौन	11306445841	5615.53
7	एस०बी०आई० नादौन	11306446196	99432.00
8	एस०बी०आई० नादौन	11306446185	99700.25
9	एस०बी०आई० नादौन	11306446209	76465.47
10	एस०बी०आई० नादौन	11306445830	20190151.12
योग			<u>22929577.00</u>
			94646

जमा:-(+) दिनांक 31.3.16 को हस्तगत शेष राशि

जमा (+) बैंक में जमा करवाए गए लेकिन दिनांक 31.3.2016 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया

क्र०सं०	चैक संख्या	दिनांक	राशि
1	8427	31.3.2016	440
2	8428	31.3.2016	717
3	5792	31.3.2016	453
4	7446	31.3.2016	1559
जमा (+)	दिनांक 29.3.16 को गलत ब्याज के रूप में रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज की गई राशि		(+) 3169
			(+) 2814

जमा (+) अनुदान के रूप में प्राप्त ₹300000 बैंक संख्या 28.3.16 को बैंक में जमा करवाया गया लेकिन दिनांक 31.3.16 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया (+) 300000

घटाव (-) दिनांक 31.3.16 को एच०डी०एफ०सी० बैंक नादौन के बचत खाता 50100067903202 द्वारा दिए गए ब्याज को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना (-) 26553

घटाव (-) दिनांक 31.3.2016 को एस0बी0आई0 नादौन बचत खाता संख्या (-) 103 11306445871 द्वारा दिए गए ब्याज को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना

घटाव (-) चैक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.3.16 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र०सं०	चैक संख्या	दिनांक	राशि	
1	000154	22.3.16	2102	
2	000155	22.3.16	8670	
3	000157	29.3.16	1254	
4	000158	29.3.16	80139	
5	000159	29.3.16	2041	
6	000161	29.3.16	531454	(-)625660
				₹22677890

दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष

5 पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति:-

नगर पंचायत द्वारा परिशिष्ट-4 द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1799729.98	916100	2715829.98	373485	2342344.98
2015-16	2342344.98	1039684	3382028.98	418992	2963036.98

दिनांक 31.3.16 को अन्तिम शेष का विवरण:-

(i)	एस0बी0आई0 नादौन के बचत खाता संख्या 11306446107 में जमा शेष राशि	291783.98
(ii)	सावधिक निवेश खाता संख्या 33670637270 एस0बी0आई0 नादौन में निवेशित राशि	1922191
(iii)	सावधिक निवेश खाता संख्या 34206438236 एस0बी0आई0 नादौन में निवेशित राशि	749062
कुल योग		2963036.98

5.1 सावधिक निवेश:-

पैन्शन एवं उपदान निधि से अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है।

लघु आपति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई।

निष्कर्ष:- लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

(सतपाल सिंह)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

0177-2620881

20 APR 2017

पृष्ठांकन संख्या :- (V)(32)फिन(एल0ए0डी0) खण्ड-2 दिनांक, शिमला-171009. - 2264

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2. सचिव, नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके संतिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

(सतपाल सिंह)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

0177-2620881

27827
16/11/18

**नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2018 से 31.03.2018 तक
भाग-एक**

1 प्रस्तावना

(क) स्याद्धते वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/84-फिन (एल0ए0) खण्ड-IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिकोण, नगर पंचायत के लेखों अवधि 01.04.2018 से 31.03.2018 तक का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं संचितरण अधिकारी के पद पर निम्न लिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे-

(i) प्रधान, नगर पंचायत

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती रीना देवी	1.4.2018 से 31.3.18 तक

(ii) सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रेम चन्द बत्रा	1.4.2018 से 31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार- नगर पंचायत नादौन के लेखाओं अवधि 1.4.2018 से 31.3.2018 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (₹) लाखों में
1	अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष	8 (क)	52.09
2	अनुदान राशि के उपयोग से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	8 (ख)	470.79
3	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	10 (क)	25.14
4	गृहकर का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर न करने के कारण वित्तीय हानि	10 (ख)	4.17

5	गृहकर पर अनियमित रूप से फ्रूट (Rebate) देने के कारण वित्तीय हानि	10 (ग)	1.69
6	दुकानों के किराये की बकाया राशि तसूली हेतु शेष	11 (क)	23.26
7	दुकानदारों से अनुबंध किराये बगैर दुकानों/खोखों को किराये पर देना	11 (ख)	—
8	विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस तसूली हेतु शेष	12	1.06
9	दुकानों के किराये से एकत्रित सेताकर को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	15	7.20
10	बैंक द्वारा सातशि जमा पर अर्जित ब्याज से स्रोत पर आय कर कटौती (TDS) के परिणामस्वरूप ब्याज आय की हानि	16	1.88
11	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	27	0.56

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत नादौन के लेखों अर्थात् 1.4.2016 से 31.3.2018 तक का अंकेक्षण कार्य श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा अर्थात् 4.7.2018 से 8.8.2018 तक तथा श्री नरेन्द्र कुमार, (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 30.7.2018 से 10.8.2018 तक नादौन में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट है। लेखाओं का विस्तृत अंकेक्षण करने हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2016-17	3/2017	4/2018
2017-18	1/2018	3/2018

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव/कार्यकारी अधिकारी (नगर पंचायत) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है तथा संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की गलत व अधूरी सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए स्थानीय परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण का दायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹25800 आँका गया। सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अध्याचना संख्या 202/2018 दिनांक 8.8.2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में नगर पंचायत ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नादौन शाखा का ड्राफ्ट संख्या 69963 दिनांक 10.8.2018 के माध्यम से उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत नादौन की अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है-

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2016-17	स्त स्रोत	3677890	7934956	11612846	8300293	3312553
	अनुदान	19000000	19368834	38368834	20168834	18700000
	कुल योग	22677890	27803790	50481680	28469127	22012553
2017-18	स्त स्रोत	3312553	12092624	15405177	10921970	4483207
	अनुदान	16700000	13415630	32115630	26900964	5206646
	कुल योग	22012553	25508254	47520807	37828954	9691853
(i)	दिनांक 31.3.18 को रोकड बही अनुसार अन्तिम शेष					₹9691853.00
(ii)	दिनांक 31.3.2018 को बैंक खातों में जमा शेष					₹9698613.87
(iii)	तथा हस्तगत राशि (कृपया परिशिष्ट "ख" पर विवरण देखें)					

(iv)	दिनांक 31.3.18 को चेकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में अन्तर	₹6760.87
------	---	----------

क्र०सं०	बैंक का नाम एवं बचत खाता सं०	राशि (₹)
1	HDFC Bank 50100079387972	3834526.00
2	HDFC Bank 5010007903202	1734373.00
3	SBI Bank 11306445830	1962360.87
4	SBI Bank 11306446196	108357.20
5	SBI Bank 1130446185	232310.25
6	SBI Bank 11306445841	6121.53
7	SBI Bank 11306446209	83335.47
8	SBI Bank 65110276153	1447793.00
9	KCC Bank 20018023134	83291.25
10	CBI Bank 2158278770	62461.00
11	OBC Bank 01682010034020	68049.30
	हस्तगत राशि	75635.00
	कुल राशि	₹9698613.87

4.1 बैंक समाधान वितरणी

दिनांक 31.3.18 को चेकड़ बही अनुसार अन्तिम शेष ₹9691953.00

जमा— (i) बैंक संख्या 000354 दिनांक 16.8.2017 बैंक ₹6760.00
में दिनांक 31.3.18 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया (+)6760.87

(ii) Rounding off Difference ₹0.87

दिनांक 31.3.2018 को बैंक में शेष जमा व चेकड़ बही 9698613.87
के अनुसार हस्तगत शेष राशि

(क) बैंक संख्या 000354 दिनांक 16.8.2017 ₹6760 भुगतान हेतु जारी किया गया था लेकिन यह बैंक दिनांक 31.3.2018 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा बैंक नियमों के अनुसार अब यह बैंक कालातीत हो चुका है। अतः उक्त बैंक के भुगतान की पुष्टि

बैंक से करने के उपरान्त इसकी प्रतिष्ठि रोकड़ बही के आय पक्ष में करके समायोजित करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 पेंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत द्वारा परिशिष्ट "ग" के अन्तर्गत अंकेक्षण को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पेंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है—

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016-17	2983036.98	954154.00	3917190.00	818563.00	3100627.98
2017-18	3100627.98	1777347.00	4877974.00	1005517.00	3872457.98

दिनांक 31.3.2018 को अन्तिम शेष का विवरण

1	Pension and Graduity fund A / C No. 11306446107	572442.48
2	F.D.R No. 3 4706438236 (SBI Nadaun)	838540.00
3	F.D.R No. 33670637270 (SBI Nadaun)	2166412.00
4	F.D.R No. 31471129427 (SBI Nadaun)	295063.00
कुल योग		₹3872457.48

दिनांक 31.3.18 को रोकड़ बही व बैंक में जमा राशि में अन्तर (3872457.98-3872457.48)=₹0.50

अतः अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए।

5.1 सावधिक जमा निवेश

पेंशन एवं उपदान निधि से अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक सावधिक जमा में निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है—

Sr. No	Account no./bank name	Date of Investment	Amount Investment (₹)	Rate	Period	Date of maturity	Maturity value (₹)
1	33670637270/ SBI-NDN	19-10-2017	2166412	6.25%	2 वर्ष	19-10-2019	2452495
2	34706438236/ SBI-NDN	16-02-2018	838540	6.25%	1 वर्ष	16-02-2019	892190
3	31471129427/ SBI-NDN	19-10-2016	295063	7%	3 वर्ष	19-10-2019	363352

अतः परिपक्वता की निर्धारित तिथि को उक्त सावधिक जमा को भुनाना/पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

स्टोर/स्टॉक अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड-1 के नियम 15.17 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित है। इस अनियमितता के कारण वस्तुओं के दुर्गमनयोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अतिरिक्त भण्डार का भौतिक सत्यापन करके कृत कार्यताही से अंकेक्षण को अतगत करवाया जाए और भविष्य में भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु सभी लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया था।

32 निष्कर्ष:- लेखों के उक्त-प्रस्ताव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(हिमराज भारद्वाज)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

फोन नं० 0177-26020881

11 2 NOV 2018

7614

पृष्ठांकन संख्या :- V(32) फिन(एल0ए0)-खण्ड-3 दिनांक: शिमला-171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यताही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या: 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत ✓ सचिव, नगर पंचायत नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।



(हिमराज भारद्वाज)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

फोन नं० 0177-26020881 